मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
विज्ञप्ति

म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत रिक्त पदों को संविदा से भरने हेतु जिला/जनपद स्तर पर योग्य उम्मीदवारों आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी अंतिम तिथि 15/12/2012 समय 5:30 बजे तक									
क्र	पदनाम/ स्तर/ मानदेय	अपेक्षित अर्हतायें शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	संवर्गवार रिक्त पदों की स्थिति रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :–						
			श्रेणी	पदवार संख्या	रिक्त पदों की संख्या	पु0	म0	विक0	भू.पू.सै.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला समन्वयक (जिला स्तर) (मानदेय रू. 32,000/–)	न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषयों में एम.बी.ए. अथवा स्नातकोत्तर उपाधि – ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास/ मार्केटिंग/ मानव संसाधन/समाज कार्य, इसके साथ ही ग्रामीण विकास में 01 वर्ष एवं स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष (कुल 03 वर्ष) का अनुभव व कम्प्यूटर अनुप्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था से ही मान्य होगा। <u>इसका अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लेख होना अनिवार्य है</u>।	अना0	09+04 = 13 पद	5	2	1	2	–
			अ0पि0व0		1	1	–	–	–
			अ0जा0		1	–	–	1	–
			अ0ज0जा0		6	5	1	–	–
			योग		13	8	2	3	–
2	ब्लाक समन्वयक (ब्लाक स्तर) (मानदेय रू. 19,000/–)	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एस.डब्ल्यू. अथवा ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास/मार्केटिंग /मानव संसाधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो। इसके साथ ही ग्रामीण विकास में 01 वर्ष तथा ग्रामीण स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष (कुल 02 वर्ष) का अनुभव व कम्प्यूटर अनुप्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था से ही मान्य होगा। <u>इसका अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लेख होना अनिवार्य है।</u>	अना0	13+04 = 17 पद	8	–	3	5	–
			अ0पि0व0		–	–	–	–	–
			अ0जा0		–	–	–	–	–
			अ0ज0जा0		9	–	1	6	02 (म.)
			योग		17	–	4	11	2

3	लेखापाल (जिला स्तर) (मानदेय रू. 11,000/—)	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा समकक्ष ग्रेड में बी.कॉम, साथ ही टेली एकाउंटिग में न्यूनतम 06 माह का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। कम्प्यूटर पर टेली एकाउंटिग में कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। एम.एस.ऑफिस एवं इंटरनेट पर कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो।	अना0	10 पद	2	—	—	2	—
			अ0पि0व0			—	—	—	—
			अ0जा0		1	—	—	1	—
			अ0ज0जा0		7	2	1	—	01 (पु.) / 03 (म.)
			योग		10	2	1	3	4
4	डाटा एन्ट्री आपरेटर (जिला स्तर) (मानदेय रू. 11,000/—)	किसी भी विषय में न्यून्तम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक इसके साथ कम्प्यूटर अनुप्रयोग में शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से डीसीए/पीजीडीसीए अथवा बीसीए एवं कम्प्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग एवं डाटा बेस मैनेजमेंट में दक्षता होना अनिवार्य है। हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान एवं मल्टीमीडिया की योग्यता वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। किसी संस्था/शासकीय कार्यालय में डाटा एन्ट्री आपरेटर के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। **(डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु प्रेक्टिकल परीक्षा ''कम्प्यूटर दक्षता'' में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।)**	अना0	15 पद	4	—	3	1	—
			अ0पि0व0		—	—	—	—	—
			अ0जा0		2	—	2	—	—
			अ0ज0जा0		9	5	3	1	—
			योग		15	5	8	2	—

<u>उपरोक्त समस्त पदों के लिये सामान्य निर्देश/शर्ते</u>

1— निर्धारित आयु सीमा — अभ्यार्थी की आयु 01 जनवरी 2012 को 21 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। विभिन्न आरक्षित वर्गो/महिलाओं के लिये म.प्र. शासन द्वारा आयु सीमा में दी गई छूट प्रचलित नियमानुसार लागू होगी।

2— मूल निवास प्रमाण पत्र — अभ्यार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिये। ऐसे अभ्यर्थी जो म.प्र.के स्थाई निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित/(ओपन) के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे आवेदकों को अनारक्षित/आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 जनवरी 2012 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये।

3— निर्धारित आवेदन पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, ग्रीन कार्ड प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र, शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं समस्त दस्तावेजों/ जानकारी न्यूनतम द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित फोटोकापी (जो लागू हो) संलग्न करना आवश्यक है। साक्षात्कार के समय उक्त दस्तावेजों/जानकारी की मूल प्रति लाना आवश्यक है।

4— अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यार्थियों को न्यूनतम अर्हता अंको में छूट म.प्र.शासन के नियमानुसार दी जावेगी।

5– यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा की है। संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी उसकी कालावधि के लिये किन्ही पेंशन संबंधी सुविधाओं अथवा बोनस इत्यादि का हकदार नहीं होगा।

6– संविदा अवधि प्रथमतः एक वर्ष की रहेगी। योजना/कार्यक्रम में आवश्यकता होने पर कार्य मूल्यांकन के आधार पर संविदा अवधि में वृद्धि की जा सकती है। संविदा अवधि में वृद्धि करने या न करने का पूर्ण अधिकार विभाग का होगा।

7– मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्र. 8390 दिनांक 26.06.2010 द्वारा जारी समेकित संविदा नीति 2010 में दी गई शर्ते उक्त संविदा नियुक्ति पर लागू रहेंगी।

8– संपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

9– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन शासकीय/स्वशासी संस्थाओं तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

10– साक्षात्कार हेतु पात्रता सूची के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के लिए 60 प्रतिशत अंक, अनुभव के लिए 20 प्रतिशत अंक (डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु अनुभव के 10 अंक तथा 10 अंक दक्षता/कम्प्यूटर कोशल के) एवं साक्षात्कार हेतु 20 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे। विज्ञापन में दर्शित शैक्षणिक आर्हता तथा उसके प्रतिशत में शासन निर्देशानुसार एस.सी., एस.टी., विकलांग एवं अन्य किसी वर्ग को यदि छूट का प्रावधान हो तो वह देय होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी वर्ग के अभ्यार्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा/भत्ता देय नहीं होगा।

11– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यकता के अनुसार विज्ञप्ति पदों संविदा दायित्वों की संख्या अथवा निर्धारित नियुिक्ति की शर्तो में यथोचित संशोधन/निरस्त करने का अधिकार होगा एवं पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं

12– विज्ञापन में दर्शाये गये आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदक अपना आवेदन पत्र संपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करें, अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जावेगा। लिफाफे में स्पष्ट रूप से आवेदक जिस पद के लिये आवेदन कर रहा है उसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। एक से अधिक पदों के लिये आवेदन करने पर अलग–अलग लिफाफे पर पदनाम सहित आवेदन करना अनिवार्य है, एक ही आवेदन पत्र पर अलग–अलग पदनाम लिखने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य/संपर्णू प्रमाण पत्रों के अभाव में निरस्त किया जावेगा।

13– आवेदन पत्र प्राप्त होने में कोई विलंब/गुम होने, फटने/फाड़ने अथवा नष्ट होने की स्थिति में अथवा उससे उत्पन्न किसी क्षति के लिये शासन का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

14– प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत केवल पात्र उम्मीदवारेां को ही साक्षात्कार हेतु सूचित किया जावेगा। जो आवेदक पात्र नहीं होंगे उन्हे इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

15– जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु लिखित सूचना भेजी जावेगी उन्हें उसके प्राप्त होने में कोई विलंब/गुम होने, फटने/फाड़ने अथवा नष्ट होने की दशा में अथवा उससे उत्पन्न किसी क्षति के लिये शासन का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

16– उक्त उल्लेखित निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव न्यूनतम है यदि विज्ञापन में पदों की संख्या के अनुपात में आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी परिस्थिति में शासन/प्राधिकृत संस्था के लिये सभी आवेदकों को साक्षात्कार के लिये बुलाना आवश्यक नही होगा।

17– आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर दिनांक 15/12/2012 को सांय 5.30 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त तिथी के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त/अमान्य किया जावेगा।

18– उपरोक्त विज्ञापन तथा आवेदन पत्र विभाग की बैबसाईट www.swsmmp.org पर उपलब्ध है।

19– **आवेदन करने का स्थान :–** राज्य कार्यक्रम अधिकारी, समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी), विकास आयुक्त कार्यालय, द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)

राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
विकास आयुक्त कार्यालय विन्ध्याचल भवन
मध्यप्रदेश भोपाल